



भारत सरकार

Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,

FARM MACHINERY TRAINING &amp; TESTING INSTITUTE (NER)

विश्वनाथ चारिआलि, जिला- विश्वनाथ (असम)

Biswanath Chariali, Dist. - Biswanath: Assam-784176

Web site: <http://ftrti-ner.nic.in>E-mail: [ftrti-ner@nic.in](mailto:ftrti-ner@nic.in)

संख्या: 17-1/2016-RTI-254

दिनांक: 13 सितम्बर, 2016

प्रति,

श्री गोपाल प्रसाद,

सकान नं 210, गली नं.3, पाल मोहल्ला,

लिकेट मोहन बाबा मंदिर,

महावली, दिल्ली-110092

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत श्री विजय कुमार के द्वारा मांगी गई सूचना।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके ऑनलाइन आरजीआई आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2016 (05.05.2016 को प्राप्त) जो मंत्रालय के पत्र संख्या 9-67/2016-एम.& टी. (प्रसाशन) दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा धारा 6(3) के तहत प्रेषित की गई है-

क्र०सं०	मांगी गई सूचना	उत्तर
(1)	भारतीय संविधान में जहाँ पर, जिस भाग व पैरा में जितने वर्षों के लिए आरक्षण लागू किए जाने का प्रावधान है तथा जिन-जिन प्रधानमंत्रीयों के कार्यकाल में उस समयावधि को जितने बार व जितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया की प्रतिलिपि सहित जानकारी।	सूचना इस संस्थान में उपलब्ध नहीं है।
(2)	आरक्षण की वर्तमान नियमावली, शर्तें, प्रावधान व उससे संबंधित नोटिस/बजर सर्कुलर तथा आरक्षण जीते के विधिवत क्रियान्वयन हेतु नियामक विभाग संस्था व जिम्मेवार पदाधिकारी के संबंध में प्रतिलिपि सहित जानकारी।	इस संस्थान से संबंधित नहीं है।
(3)	आरक्षण की नियमावली के अनुसार पिछड़ा वर्ग में क्रिमीलेयर की भाती SC/ST में क्रिमीलेयर का नियम लागू है अथवा नहीं की विधिवत प्रतिलिपि सहित जानकारी।	नहीं है।
(4)	सुप्रीम कोर्ट द्वारा OBC प्रमोशन में आरक्षण प्रतिबंधित करने एवं पचास प्रतिशत की आरक्षण सीमा तय करने संबंधी सर्कुलर एवं इस नियम को केन्द्र सरकार के जिन जिन विभागों/ राज्य सरकार के विभागों में नहीं लागू/ लागू नहीं किया हो, के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी।	मांगी गई जानकारी इस संस्थान में उपलब्ध नहीं है।
(5)	आरक्षण नीती व नियमावली के अनुसार केन्द्र सरकार के सभी विभागों में आरक्षित कोटे के तहत रिक्त स्थानों (वैकलाग) की विभागवार, रिक्तस्थानवार जितने समय से रिक्त है की समयावधिवार, नियुक्ति प्रक्रिया हेतु जारी किए गए विज्ञापन की प्रतिलिपि सहित जानकारी।	इस संस्थान का जानकारी शून्य मानी जाए।
(6)	सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा सोनी V/s भारत सरकार का जजमेंट व मंडल कमीशन केस की रिपोर्ट रिपोर्ट की अनुशंसा तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जा रहे स्कुटनी की वर्तमान स्थिति व परिणाम की प्रतिलिपि सहित जानकारी।	सूचना इस संस्थान में उपलब्ध नहीं है।
(7)	आरक्षण का आधार शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ही है अथवा उसके साथ आर्थिक और भी पहलु हैं, की जानकारी। यदि एक परिवार के एक मुख्य सदस्य ने नौकरी में आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है तो परिवार का अन्य सदस्य।	शून्य

(8)	सं 2010-16 को अवधि में केन्द्र सरकार के कार्यों द्वारा जमा कराये गए पट्टी जति प्रमाणपत्र हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराए गए मामलों/दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही एवं इस हेतु वर्षवार, केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार विभागवार, संख्यावार, वर्तमान स्थितिवार सम्पूर्ण जानकारी।	शून्य
(9)	हरियाणा में जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान हरियाणा सरकार एवं भारतीय गृहमंत्रालय की इंटेलिजेंस फेल होने तुरंत प्रभावी नहीं होने के कारणों एवं इस हेतु यदि कोई समीक्षा की गई हो तो उसकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि।	संबंधित नहीं है।
(10)	हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में सिस्टमेटिक कंसपिरेसी आंदोलन को प्रभावित एवं मुनक नहर की तोड़फोड़, बीमालाभ प्राप्त करने हेतु दुकानों में भ्रष्टाचार व आगजनी तथा मुरखल की गैंगरेप की घटनाओं के विषय पर पुलिस सैक्टररी होज, DGP हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से गृहमंत्रालय, मुंबई कोर्ट, हरियाणा के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा मांगी गई रिपोर्ट को लिए गए जवाब की प्रतिलिपि सहित जानकारी।	संबंधित नहीं है।
(11)	जाटों को आरक्षण देने संबंधी निर्णय (हरियाणा विधानसभा के पास) के विरुद्ध में (चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ) दायर की गई याचिका के संदर्भ में न्यायालय व अधिकारिता मंत्रालय को प्राप्त नोटिस व उसके प्रतिउत्तर की प्रतिलिपि सहित जानकारी।	संबंधित नहीं है।
(12)	जाटों पर संपन्न श्री मोहन भागवत के द्वारा दिए गए बयान से उपजीक प्रतिलिपि, आरक्षण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के बयान के बाद जाटों पर पूर्णसमीक्षा की योजना, कमिटी, विचारार्थ प्रस्ताव, निर्णय व जाटों पर तय समयसीमा की प्रतिलिपि सहित जानकारी।	संबंधित नहीं है।
(13)	जाटों हेतु ऐमिसाईल सर्टीफिकेट इन बार्न या ट्रांसफर्ड होने की प्रतिलिपि सहित जानकारी।	संबंधित नहीं है।

नोट- इस प्रकरण में हिन्दी टंकक उपलब्ध नहीं है जो रिक्त है।  
 Name, Location & Address of Appellate Authority  
 Shri K. S. Chatterjee, Director  
 North India Region Farm Machinery Training &  
 Testing Centre, Biswanath Chariali,  
 Dist. P. O. Dibrugarh, Assam, Pin-784176  
 Tel. No. 0361-202094, Fax No. 03715-230358

भवदीय

*(Signature)*  
 (जे.पी. मण्डल)

कृषि अभियन्ता एवं सी.पी.आई.ओ.

प्रतिवेदित

(1) श्री. भारद्वाज, निदेशक -एम एण्ड टी एवं सी.पी.आई.ओ. कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि, सिंचिकायिता एवं कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001-आपके पत्र संख्या 9-67/2016-M&T (प्रशासन) दिनांक 26 मई के संदर्भ में।

(2) श्री. ड.पू.श्री.कृ.य.प्र. एवं प.स., बी. चाराली, सादर सूचनाार्थ।

*(Signature)*  
 (जे.पी. मण्डल)

कृषि अभियन्ता एवं सी.पी.आई.ओ.

*(Signature)*  
 13-9-16

*(Handwritten)*  
 ned  
 ah